



175

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अवमानना प्रकरण क्रमांक

/2012 जिला-दतिया

- 1- प्रमोद कुमार पुत्र श्री बिहारीलाल नीखरा, निवासी- शनिचरा मौहल्ला दतिया (म.प्र.)
- 2- सुनीत कुमार मिश्रा पुत्र श्री रमेश कुमार
- 3- संजय नगरिया पुत्र श्री मुरलीधर नगरिया निवासीगण- पकौड़िया महादेव, दतिया (म.प्र.)
- 4- रविन्द्र कुमार सुन्दरानी पुत्र श्री कन्हैयालाल सुन्दरानी, निवासी- गुरुनानक कॉलोनी, दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- नरेश कुमार यादव पुत्र श्री रतनलाल यादव, निवासी- पट्टापुरा, तहसील व जिला दतिया
- 2- श्री विनोद भार्गव, तहसीलदार दतिया

..... अनावेदकगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा (2) 12 अवमानना अधिनियम बावत प्रकरण क्रमांक 3745-1/2012 पुनरीक्षण में पारित स्थगन आदेश दिनांक 31.10.2012 के उल्लंघन बावत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

- 1- यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3745-1/2012 निगरानी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन पर तर्क सुने जाकर प्रकरण प्रथमदृष्टया आवेदकगण के हित में पाये जाने की स्थिति में अपने आदेश दिनांक 31.10.2012 द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किया गया था।
- 2- यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा आवेदकगण के हित में जारी स्थगन आदेश दिनांक 31.10.2012 की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, दतिया को दिनांक 01.11.2012 को दी गई थी, जिसकी विधिवत् जानकारी अनावेदक क्रमांक-1 को तत्समय ही हो गई थी, किन्तु इसके बावजूद अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 02.11.2012 पारित कर दिया गया, जोकि माननीय न्यायालय की स्पष्ट अवमानना है।
- 3- यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा जो स्थगन आदेश दिनांक 31.10.2012 को पारित किया गया था, उसकी विधिवत् जानकारी अनावेदकगण स्पष्ट रूप से दिनांक 01.11.2012 को हो गई थी, किन्तु इसके बावजूद अनावेदक क्रमांक 1

विबिध 3997-I/12

धारा 3-2012 अधिनियम  
द्वारा आज दि 22/11/12 को  
प्रस्तुत

22/11/12  
जज ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

22/11/12

175

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.7.16	<p>कार्यवाही की गई है कि उपरोक्त पक्षकारों को सूचना दी जाये कि वे अपने पक्षों पर आधारित दस्तावेजों को तैयार करके अगले दिनांक 28.7.16 तक प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त पक्षकारों के पक्षों को खारिज कर दिया जायेगा।</p>	<p><i>(Handwritten signature)</i></p>

*(Handwritten mark)*

4.10.13  
*(Handwritten mark)*

10.12.13  
*(Handwritten mark)*